न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या —26 / 2025 (अपील)

GCMS No.- 2025 / 25

1. श्रीमती रूकमणी पत्नी श्री मुरली मनोहर जाति वाल्मिकी
2. श्री मुरली मनोहर पुत्र स्व. श्री रतनलाल जाति वाल्मिकी
   निवासीगण चम्बल कॉलोनी के पीछे, हरिजन बस्ती, सकतपुरा कोटा

—अपीलाण्ट.

बनाम

1. शारदा पत्नी बृजसुन्दर जाति वाल्मिकी
2. बृजसुन्दर पुत्र श्री मुरली मनोहर जाति वाल्मिकी
   निवासीगण चम्बल कॉलोनी के पीछे, हरिजन बस्ती, सकतपुरा कोटा

—रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्व आदेश दिनांक 11.12.2024 मिसल नं0 67 / 2021 उनवान रूंकमणी वगै0 बनाम शारदा वगै. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा

उपस्थितः—

1. श्री मनोज चाचोदिया, अभिभाषक अपीलांट
3. श्री मनोज तिवारी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक— 02.06.2025

1 प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ ट्रिब्यूनल न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा ने प्रार्थीया अपीलांट द्वारा माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम की धारा 5(1) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपने निर्णय दिनांक 11.12.2024 को आदेश पारित किया कि—"पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि उभयपक्षकारान के मध्य उपरोक्त विवादित मकान से संबंधित प्रकरण अन्य सिविल न्यायालयों में भी जैरकार है । समान परिसर एवं समान पक्षकारों के मध्य एक से अधिक न्यायालयों में प्रकरण के जेरकार होने से एवं हस्तगत प्रकरण में निर्णय पारित किये जाने से न्यायालयों के आदेशों में विरोधाभास उत्पन्न होने की पूर्ण सम्भावना है । उपरोक्त विवेचनानुसार हम हस्तगत प्रकरण में कोई कार्यवाही किया जाना उचित नहीं पाते है । परन्तु वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए न्यायहित में अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थीगण के साथ लडाई झगडा, मारपीट, गाली गलोच इत्यादि नहीं करें, उपरोक्त वर्णित मकान चम्बल कॉलोनी के पीछे, हरिजन बस्ती, सकतपुरा कोटा में प्रार्थीगण के शांतिपूर्वक निवास, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें ।

2 अपीलांटगण द्वारा आदेश दिनांक 11.12.2024 की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 31.01.2025 को पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जेर निगरानी आदेश विधि न्याय एवं संचिका में सिद्वी प्राप्त सिद्वान्तों के सर्वथा विपरीत होने से दुरूस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जेर निगरानी आदेश पारित करते समय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का विधि पूर्ण विवेचन किये बिना ही पारित कर दिया जो स्थापित विधि के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है ।

जिला कलक्टर
कोटा

3 अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये रजिस्टर्ड सम्मन की गई । रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक मनोज तिवारी का वकालतनामा पेश हुआ । वकील उभयपक्ष उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4 अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा रेस्पोडेन्ट्स अर्था तअपने पुत्र एवं पुत्रवधू के विरूद्व अन्तर्गत धारा 5 व 23 सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसमें अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया था कि प्रार्थीगण 67 एवं 73 वर्षीय वृद्व वरिष्ठ नागरिक है तथा अपने स्वयं के मकान में रहकर अपने परिवार सहित अपना जीवन यापन कर रहे थे .तथा रेस्पोडेन्ट्स की प्रताडनाओं को लेकर अपीलांट का बडा पुत्र बृजमोहन परिवार से पृथक जयपुर शिफ्ट हो गया तथा छोटा पुत्र देवकीनन्दन, मोहनलाल सुखाडिया योजना, कुन्हाडी कोटा में निवास करने लग गया तथा वर्तमान में रेस्पोडेन्ट्स बृजसुन्दर मय परिवार के निवास कर रहा है जो आये दिन अपीलांट के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव, गाली गलोच एवं मारपीट कर प्रताडित करते है तथा नल बिजली के कनेक्शन विच्छेदित कर देते है जिससे अपीलांट्स अत्यधिक परेशान हो जाये और घर छोड़कर चले आये जिस पर अधीनसथ न्यायालय द्वारा बाद तामील रेस्पोडेन्ट्स जवाब प्रस्तुत होने परउभयपक्षकारान की बहस सुनकर प्रार्थीगण अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण का निस्तारण दिनांक 11.12.2024 को फरमाया गया । अपीलार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया था जिसकी धारा 23 में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी भी वरिष्ठ नागरिक को अपनी सम्पत्ति का उपयोग उपभोग करने से नहीं रोक सकता तथा इस सम्बन्ध में अपीलार्थी द्वारा अपने उक्त मकान का पट्टा व अन्य दस्तावेजात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट उक्त मकान के स्वामी है जो उनकी स्वअर्जित आय से अर्जित की गई सम्पत्ति है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में आलेखित किया है कि अपीलांट्स के साथ यदि कोई वारदात हुई है जिसके सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दी है, जबकि अपीलांट्स द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 4.01. 2021 एवं 12.11.2024 को पुलिस अधीक्षक कोटा शहर को दी गई शिकायतों की प्रतियां संलग्न की गई थी, उक्त शिकायतों के फलस्वरूप रेस्पोडेन्ट्स को पाबन्द भी किया गया, किन्तु इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गोर न फरमाते हुए जेर अपील उक्त आदेश पारित कर दिया है जो विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य था । रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपीलांट्स एवं उसके अन्य पुत्रों के के विरूद्व एक घरेलू हिंसा का प्रकरण दिनांक 14.7.2023 को प्रस्तुत किया है जो स्वमेव अपीलांट्स के विरूद्व रेस्पोडेन्ट्स की कूरता को साबित करता है, रेस्पोडेन्ट्स द्वारा उक्त प्रकरण में स्पष्ट अंकन किया है कि उक्त सम्पत्ति अपीलांट्स की है । रेस्पोडेन्ट्स के उक्त कृत्यों के कारण ही अपीलांट्स का संयुक्त परिवार छिन्न भिन्न हो गया तथा अपीलांट्स को दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ा । चूंकि सीनियर सिटीजन अधिनियम वरिष्ठ नागरिकों को त्वरित न्याय मुहैया कराता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय में उक्त प्रकरण वर्ष 2021 से विचाराधीन होने पर भी अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र केवल आंशिक रूप से ही स्वीकार किया जाना विधि सम्मत नहीं है । अपीलांट्स उक्त प्रार्थना पत्र को वापस लेने हेतु दबाव बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे है और प्रार्थीगण को धमका रहे है और अपनी मंशा को फलीभूत करने के लिए ही रेस्पोडेन्ट्स ने घरेलू हिंसा का प्रकरण अपीलांट्स के विरूद्व प्रस्तुत किया है । जहां तक पक्षकारों के मध्य अन्य न्यायालयों में वाद विचाराधीन होने का प्रश्न है इससे अपीलांट्स के संवैधानिक अधिकारों के आधार पर न्यायालयों के आदेश में कोई विरोधाभास होने की संभावना नहीं है, क्योंकि उक्त अधिनियम सीनियर सिटीजन की रक्षार्थ एवं भरण पोषण से सम्बन्धित विशिष्ठ अधिनियम है जो किसी अन्य विधि के प्रावधानों से प्रभावित एवं बाध्य नहीं है, इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 2 जनवरी 2025 उनवान उर्मिला दीक्षित बनाम सुनील शरण दीक्षित में विवेचना की है जिसमें सीनियर सिटीजन

जिला कलक्टर
कोटा

अधिनियम की धारा 23 के तहत यदि रेस्पोडेन्ट्स /विपक्षी द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के हक व अधिकारों को छिन्न भिन्न करने हेतु यदि कोई कृत्य किया जायेगा तो उसे उनकी सम्पत्ति से बेदखल किया जा सकता है तथा जहां तक अन्य वाद /प्रकरण का विचाराधीन होने का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में माननीय पंजाव व हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 7.3.2024 उनवान दीपक कुमार व अन्य बनाम जिला मजिस्ट्रेट व अपीलीय अधिकारी के पेरा नं0 10 में स्पष्ट किया है कि दोनों विधियां पृथक पृथक दृष्टिकोण रखती है तथा दीवानी न्यायालय में वाद विचाराधीन होने मात्र से प्रस्तुत विधि के आधार पर निर्णय पारित किया जाना किसी भी प्रकार से विधि सम्मत नहीं है । दीवानी कार्यवाहियों के विचाराधीन होने से किसी विशिष्ठ विधि के तहत कार्यवाही के निस्तारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है । अपीलांट्स द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में समस्त तथ्यों को साबित करने हेतु पर्याप्त एवं उचित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है जबकि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपने कथनों को सिद्व करने हेतु किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है, केवल मात्र कही सुनाई बातों पर ही अपना जवाब प्रस्तुत कर प्रकरण को खारिज करने का निवेदन किया गया है जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का उचित अवलोकन व विधिपूर्ण विवेचन किये बिना ही स्थापित विधि की अवहेलना कर जेर अपीलीय आदेश पारित किया है जो खारिज किये जाने योग्य है । वकील अपीलान्ट ने अपने कथनों एवं अपील के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये है–

- उर्मिला दीक्षित बनाम सुनील शरण दीक्षित, उच्चतम न्यायालय निर्णय दिनांक 02.01.2025
- दीपक कुमार व अन्य बनाम जिला मजिस्ट्रेट व अपीलीय अधिकारी पंजाब एण्ड हरियाणा हाईकोर्ट, निर्णय दिनांक 7.3.2024
- माहेश्वरी देवी बनाम जी एन सी टी दिल्ली, दिल्ली हाईकोर्ट, निर्णय दिनांक 19.2.2024
- ज्योति कुमार बनाम जीएनसीटी दिल्ली, दिल्ली उच्च न्यायालय निर्णय दिनांक 01.8.2023
- पूजा मेहता बनाम जीएनसीटी दिल्ली, दिल्ली उच्च न्यायालय निर्णय 4.10. 2024

5 रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि प्रार्थी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट के विरूद्व उपरोक्त वर्णित मुकदमा बिना किसी न्यायोचित कारण के केवल मिथ्या आरोप लगाकर पेश किया गया है जिसकी वजह से अप्रार्थीगण का पूरा परिवार परेशान है । अप्रार्थीगण के तीन बच्चे है जिनमें सबसे बडी पुत्री यश्वनी, जिसकी उम्र मात्र 12 वर्ष है उसके बाद पुत्री प्रतिज्ञा 9 वर्ष तथा पुत्र कुणाल मात्र 7 वर्ष का है । यह तीनों बच्चे अप्रार्थीगण के साथ ही निवास कर रहे है । यदि किसी भी प्रकार से अप्रार्थीगण को मकान से बेदखल किया जाता है तो अप्रार्थीगण के पास में रहने का संकट उत्पन्न हो जाएगा । अप्रार्थी बृजसुंदर एक सफाई कर्मचारी है तथा प्राईवेट तौर पर किसी संस्था में सफाई का कार्य करके मात्र 5 से 6 हजार रूपये की इनकम कर पाता है । ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण का अलग से मकान लेना तथा उसका खर्चा वहन करना किसी भी प्रकार सम्भव नहीं हो पाएगा । अप्रार्थी के दो बडे भाई बृमोहन तथा देवकीनंदन आर्थिक और सामाजिक रूप से अत्यंत सुदृढ अवस्था में है । श्री मुरली मनोहर प्रार्थी अपीलांट कम 2 आर्थिक रूप से सुदृढ़ अवस्था व्यक्ति है जो वर्तमान में 15,000/– से ज्यादा पेंशन राशि प्राप्त होती है । जिसमें वह स्वयं का तथा श्रीमती रूकमणी का पर्याप्त भरण पोषण कर लेते है ।अप्रार्थी बृजसुंदर के बडे भाई श्री बृजमोहन जी सारवान अपने परिवार के साथ जयपुर में निवास करते है तथा एक प्रतिष्ठित ठेकेदार है । मासिक रूप से उन्हें 70 से 80 हजार रूपये प्राप्त होते है क्योंकि बृजमोहन जी के पास आय के अच्छे साधन है उनके पास बडा मकान है इसी वजह से अपीलांटगण अपनी इच्छा से और बेहतर सुविधाओं की वजह से जयपुर में निवास करने लगे है । बडे भाई बृजमोहन के कहने पर ही अब मुरली मनोहर जी पूरे मकान को बेचकर जयपुर

जिला कलक्टर
कोटा

शिफ्ट होना चाहते है और इसी उद्देश्य से यह मुकदमा किया गया है । जिस मकान का वर्णन इस मुकदमें में किया गया है जिसके दो कमरों में अप्रार्थीगण निवास कर रहे है उन कमरों का निमार्ण अप्रार्थी बृजसुंदर ने अपनी ससुराल से प्राप्त रकम से शादी के बाद करवाया है जबकि श्री मुरली मनोहर जी द्वारा जमीन के पिछले हिस्से में निर्मित चार कमरों का निमार्ण अप्रार्थीया शारदा के पीहर से प्राप्त राशि से करवाया गया है, इसलिए इन कमरों पर मूल रूप से शारदा का ही हक है इसलिए इन कमरों से बेदखल किया जाना किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं है । वकील अप्रार्थी ने आगे यह भी कथन किया है कि अपीलांट रेस्पोडेन्टगण को घर से बेदखल करना चाहते है । जबकि उक्त मकान के सम्बन्ध में सिविल कोर्ट में वाद विचाराधीन है तथा सिविल न्यायालय से दोनों पक्षों को एक दूसरे को वादग्रस्त सम्पत्ति से जबरन बेदखल नहीं करने बाबत आदेश पारित किया हुआ है । साथ पक्षकारान के मध्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम 1 दक्षिण कोटा में भी घरेलू हिंसा का प्रकरण विचाराधीन है । इन्ही परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया गया है जो उचित है । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावें ।

6 हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.12.2024 के विरूद्व दिनांक 31.1.2025 को पेश की गई है जो अन्दर मियाद है । प्रार्थीगण अपीलांट द्वारा चम्बल कॉलोनी के पीछे, हरिजन बस्ती सकतपुरा कोटा में स्थित मकान से अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण को घर से बेदखल करने की प्रार्थना के साथ अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह उल्लेख करते हुए आंशिकरूप से स्वीकार किया है कि उभयपक्षकारान के मध्य उपरोक्त विवादित मकान से संबंधित प्रकरण अन्य सिविल न्यायालयों में भी जैरकार है । समान परिसर एवं समान पक्षकारों के मध्य एक से अधिक न्यायालयों में प्रकरण के जेरकार होने से एवं हस्तगत प्रकरण में निर्णय पारित किये जाने से न्यायालयों के आदेशों में विरोधाभास उत्पन्न होने की पूर्ण सम्भावना है । उपरोक्त विवेचनानुसार हम हस्तगत प्रकरण में कोई कार्यवाही किया जाना उचित नहीं पाते है । परन्तु वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए न्यायहित में अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थीगण के साथ लडाई झगडा, मारपीट, गाली गलोच इत्यादि नहीं करें, उपरोक्त वर्णित मकान चम्बल कॉलोनी के पीछे, हरिजन बस्ती, सकतपुरा कोटा में प्रार्थीगण के शांतिपूर्वक निवास, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें ।

7 हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया । जिस अनुसार वादग्रस्त मकान से अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट की बेदखली के सम्बन्ध में सिविल वाद चला है जिसमें दोनों पक्ष की सहमति से एक दूसरे को बेदखल नहीं करने की सहमति के आधार पर मूल वाद के निर्णय तक टी0आई0 लोक अदालत में निस्तारण की गई थी । साथ ही पक्षकारान के मध्य ओर भी मामले न्यायिक मजिस्ट्रेट कम 1 दक्षिण कोटा में घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम के तहत विचाराधीन है । प्रार्थीगण अपीलांट द्वारा जो अनुतोष अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत सीनियर सिटीजन एक्ट के प्रार्थना पत्र में चाहा गया था वही अनुतोष सिविल न्यायालय में भी चाहा गया था इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए प्रार्थीगण अपीलांट द्वारा चाही गई रेस्पोडेन्टगण को बेदखल करने की प्रार्थना अस्वीकार की है । तथा अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के साथ लड़ाई झगडा आदि नहीं करने के लिए पाबन्द किया गया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हम कोई दोष नहीं पाते है । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक निर्णय से हम सहमत है किन्तु यह इस प्रकरण पर पूर्णरूप से चस्पा नहीं होते है ।

जिला कलक्टर
कोटा

8 परिणामतः अपील अपीलांट स्वीकार करने के पर्याप्त एवं विधिक आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 11.12.2024 उचित होने से यथावतं रखा जाता है ।

9 निर्णय आज दिनांक 02.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा